न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 61/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
विपिन पुत्र प्रकाशचन्द जाति रेगर निवासी बडली मोहल्ला, तहसील व जिला नागौर।		तहसीलदार, नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री नटवरलाल गौड अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 23.04.18

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 83/2016 सरकार बनाम विपिन में निर्णय दिनांक 30.09.16 के तहत मौजा नागौर के खसरा नं. 451 रकबा 11 गुणा 66 वर्गफुट गै.मु. अंगौर से बेदखली एवं शास्ति के आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 06.06.17 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 22.06.17 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया। अपीलांट के विरूद्व आदेश जैर अपील इकतरफा में पारित किया गया, जिस की जानकारी अपीलांट को वक्त आदेश व उस के बाद में नही दी गई। हाल ही में पटवारी हल्का द्वारा बतलाया गया कि हम तुम्हारा मकान शीघ्र ही तोडने वाले है, तब अपीलांट ने जानकारी की तो मालूम हुआ कि अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना उसकी उपस्थिति के आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिस पर अपीलांट ने तुरंत ही नकल का आवेदन पत्र पेश किया। जो नकल अपीलांट को 30.05.17 को प्राप्त हुई। जिस के बाद अपीलांट ने अपनी अन्य साक्ष्य व कागजात एकत्रित किये तथा अपील पेश की गई। जो अवधि में शुमार किये जाने योग्य है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.09.16 एक पक्षीय है तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति आवेदन का भी कोई निस्तारण नही किया तथा किसी भी प्रकार से आगामी तारीख पेशी की सूचना नही दी गई। न कोई आवेदन पर जांच की गई तथा एक तरफा में ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया। जो विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

{2}(III)–आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को जवाबदेही व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नही किया तथा अपीलांट को जवाब देही का अवसर दिये बिना ही एकतरफा में बिना उस को जानकारी दिये व अपीलांट की अनुपस्थिति मे ही मन माने ढंग से प्रकरण का विवेचन कर आदेश पारित किया है। जो न्याय के सामान्य सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय को आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति आवेदन पत्र का विधिवत सुनवाई कर निर्णय करना चाहिये था। उस के बाद अपीलांट को जवाब का अवसर प्रदान कर उसको अपने पुराने कब्जे के बाबत स्वामित्व संबंधित दस्तावेजात व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना चाहिये था। जो नही किया जाने से आदेश जैर अपील विधिवत पारित नही किया गया है।

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर (राजस्थान)

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(V)–अपीलांट का उपरोक्त अपीलग्रस्त सम्पति पर पुरातन कब्जा लगातार पीढियों से चलता आ रहा है। जिसमें अपीलांट का पुराना मकान बना हुआ है। जिसमें वह परिवार सहित निवास करता आ रहा है। अपीलांट के रहवास का एक मात्र यही स्थान है। जिसमें वह परिवार सहित निवास कर सकता है। इसके अतिरिक्त अपीलांट व उसके परिवार के रहवास हेतु कोई अन्य साधन उपलब्ध नही है। अपीलांट के राशन कार्ड, वोटर कार्ड वगैरा इसी स्थान पर बने हुए है। साथ ही यह भूमि किसी भी प्रकार से अंगौर के काम नही आ रही है। इस का पानी किसी तालाब नाडी में नही जाता है। अपीलांट के मकान के चारों तरफ आबादी बसी हुई तथा मकानात बने हुए है तथा नगर परिषद् की सीमा मे है। अपीलांट अनु. जाति का गरीब व्यक्ति है। जिस के रहवास की अन्य कोई व्यवस्था कही पर भी नही है। प्रथम दृष्टया अपीलांट के पक्ष में नियमन योग्य था व है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा नागौर में स्थित गै.मु. अंगौर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके नागौर के खसरा नंबर 451 रकबा 118 गुणा 66 वर्गफुट गै.मु. अंगौर भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया है तथा आराजी भूमि राजकीय भूमि है तथा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही की गई है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट के अधिवक्ता का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत अंगौर किस्म की भूमि का आवंटन/नियमन किया जाना निषेधित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर